

श्रीमान जिला कलक्टर नहोदय के पत्रांक प.9 () मु.अ./एलआरसी/2019/4889 दिनांक 30.7.19 के माध्यम से डीआईएलआरएमपी के तहत धारा 131/136 के वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत पैरोकार तहसीलदार मूण्डवा द्वारा मू राजस्व अधिनियम 1957 की धारा 131/136 के तहत अनुतोष चाहा गया। तहसीलदार मूण्डवा द्वारा प्रेषित प्रकरण व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों की विषयवस्तु के अवलोकन पर आप द्वारा प्रेषित प्रकरण के संबंध में विधिक स्थिति इस प्रकार है:-

- राजस्थान मू राजस्व (मू.अ.) नियम 1957 के नियम 62 (11) में खस्ता नम्बरान के एकीकरण संबंधी प्रावधान किये गये है, जो इस प्रकार है -
 " जब दूसरा रूप लिभाजन होता है तो डिनोमिनेटर संख्या उस खेत की जिसका फिर उप विभाजन किया जाता हो केवल न्यूमरेटर संख्या होगी। इस उदाहरण में हमको पहले 151/24, बाद में 185/151 और अन्त में 201/185 नम्बर दिये जायेंगे। जिससे प्रत्येक से जरूरत के समय पुरानी संख्या आसानी से मालुम की जायेगी। अगर किन्हीं 31 व 32 नम्बर के खेतों को एक खेत में शामिल कर दिया गया हो तो नयी संख्या 153/31 और 32 होगी। क्योंकि 152 खेतों के रजिस्टर की आखिरी संख्या है। "
- राजस्थान मू राजस्व (मू.अ.) नियम 1957 के नियम 348 में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कर्तव्य यथाविवक्षित किये गये है। इन प्रावधानों के अनुसार नियम 354 में तहसीलदार द्वारा गांव के नव्वो की गलतियों को सुधारने और ऐसे नव्वो को आदिनांक रखे जाने के प्रावधान है।
- राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 114 में अधिकार अभिलेख की उन्तर्वस्तु के बारे में प्रावधान किये गये है और इस धारा की क्रियाम्विधि हेतु राजस्थान मू राजस्व (सर्वे रेकार्ड तथा सेटलमेंट) (सरकारी) नियम 1957 के नियम 23 के प्रावधान इस प्रकार है -
 " धारा 114 में एन्सेंशन पंक्तिकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित भी अधिकार अभिलेख के भाग होंगे अर्थात्
 1. कुआ, तालाब और सिंचाई के साधनों पर अधिकार का विवरण
 2. दस्तर गवाई यदि अभिलिखित हो
 3. पारशुक

• राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 गलतियों का शुद्धिकरण के प्रावधान इस प्रकार है -

" मू अभिलेख अधिनियम किसी भी समय, किसी लिपिकिय गलती या ऐसी गलतियों को विहित स्थिति से शुद्ध कर सकेगा, या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पदाकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे, परन्तु जब किसी राजस्व अधिनियम द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी जब तक कि पदाकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो।

• धारा 136 के उपररक्त को किमान्वित करने के लिये राजस्थान मू राजस्व (सर्वे रेकार्ड तथा सेटलमेंट) (सरकारी) नियम 1967 के नियम 26 के प्रावधान इस प्रकार है -

1. मू अभिलेख अधिनियम किसी लिपिकिय गलती और ऐसी किन्हीं गलतियों को जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में किया गया होना हितबद्ध पदाकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे, प्ररूप 7 के हितबद्ध पदाकारों को यह निवेदन करने के लिये कि लिपिकिय गलती या गलती हो गई है, ब्यापक या सव्यक रूप से अनुदैर्घिक अधिवक्ता के माध्यम से उपसंजात होने की अपेक्षा करती हुए नोटिस दया।
2. नोटिस ऐसे व्यक्ति पर अधिनियम के अधीन विरचित राजस्व न्यायालय मैन्युटल में अन्तर्विष्ट उपररक्तों के अनुसार अभिलिखित किया जायेगा।



श्रीमान जिला कलक्टर
 (S.D.O.) जयपुर

● राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति का संधारण के प्रावधान है। जिसके अनुसार सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात भू अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फिल्ड बुक रखी जायेगी वह प्रसिद्ध या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रति गांव या गांव के भाग, भू सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सबपरिवर्तनों को उसमें लेखा लेना द्वारा ऐसी गतिधियों को जो ऐसे मानचित्र या फिल्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

3. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से तहसीलदार मूण्डवा द्वारा प्रेषित प्रकरणों में न तो अधिकार अभिलेख में रही त्रुटि का विवरण अंकित है और न ही गणना में की गई तरगीम में रही त्रुटि का कोई विवरण अंकित है। तहसीलदार मूण्डवा द्वारा प्रेषित प्रकरणों में अधिकार अभिलेख (जमाबंदी) में वर्तमान इन्दाज सक्षम स्वकृति पश्चात स्वीकृत नामान्तरकरण के आधार पर है। ऐसे इन्दाजात को आप तब तक गलत इन्दाज या त्रुटिपूर्ण इन्दाज नहीं मान सकते जब तक कि ऐसे नामान्तरकरण विधिविरुद्ध व नियम विरुद्ध साबित नहीं हो जाये। इसी प्रकार नक्शों में भी तहसीलदार मूण्डवा द्वारा हस्तागत प्रकरण में प्रस्तावित किये गये खसरा नम्बरान की कोई तरमीम नहीं की गई है, इसका बतजूद भी तहसीलदार मूण्डवा द्वारा इन प्रकरणों में नक्शों में शुद्धि चाही गई है जो कि धारा 131 की मूल भावना से अक्षरित नहीं होती है। इन प्रकरणों में तरमीम की अपेक्षित कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व(भू.अ.) नियम 1957 के नियम 62 या 354 के तहत तहसीलदार मूण्डवा द्वारा ही की जानी है। धारा 131 के प्रावधानों के अनुसार आप द्वारा की गई कार्यवाही में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है या पक्षकार ऐसी त्रुटि रहने का आक्षेप करता है, उसी स्थिति में भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) के शोत्राधिकार से ही आदेश पारित किया जाना अपेक्षित होता है। अन्यथा स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही राजस्व अधिकारी की हैसियत से राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के तहत तहसीलदार द्वारा ही की जानी अपेक्षित है।

डीआईएलआरएनपी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस प्रकार बिना गस्तिष्क का प्रयोग कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने की श्रेणी में आता है व गर्भीर दुराचरण की तारीफ में है। अतः तहसीलदार मूण्डवा के विरुद्ध उच्चस्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्काल प्रस्तावित कर दी जावे।

अतएव प्रकरण में उक्त कथनानुसार यह आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार मूण्डवा भू राजस्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं जो कि तबत कथन में सुस्पष्ट है, के तहत इस प्रकरण का निस्तारण करें। इसी के साथ आपको यह भी निर्देश दिये जाते है कि आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर आप इस कार्य को निस्तारित कर डीआईएलआरएनपी कार्यक्रम को गति प्रदान करें


उपखण्ड अधिकारी
महाराजगिरि नक्शे
(S.D.O.), नागौर